केशर देवी बनाम राजस्थान सरकार
2025/32
निर्णय दिनांकः—03.11.2025

सत्यमेव जयते

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी —सुनील कुमार I आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025/32

दर्ज तिथिः—17.02.2025

1. केशर देवी पत्नी सोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सहजूसर तहसील व जिला चूरू

..................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

............... प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री शिवगौतम सोलंकी
प्रतिवादीगणः— पैरोकार राज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 88, 92(क)
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

## निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 92(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 416 तादादी 0.6071 हैक्ट. गैर मुमकिन रास्ते वाके रोही ग्राम गौजसर तहसील व जिला चूरू राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी ''मौका नक्शै एनेक्चर'' बरंग पीला एवं मौका नक्शा राजस्व रिकॉर्ड एनेक्चर बरंग लाल दावा हाज़ा के साथ प्रस्तुत किया है।

खसरा संख्या 416 गै.मु.रास्ता पीढ़ियों से दावे के संलग्न नक्शा ''एनेक्चर'' बरंग लाल के स्थान पर चला आ रहा है जबकि भूलवश सहवन से भूप्रबन्धक विभाग (सेटलमेन्ट विभाग) के समय रास्ते पर चले आ रहे रास्ते की बजाय पश्चिम दिशा में जिसे बरंग पीला एनेक्चर से दर्शाया गया है जिसके मौके पर बड़ा सा टिब्बा है और उस पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है जबकि कभी भी एनेक्चर बरंग पीला मौके पर आवागमन हेतु कभी भी रास्ता नहीं रहा है जबकि मौके पर रास्ता सदामत रास्ता बरंग लाल एनेक्चर से दर्शाया गया है और उस स्थान पर आवागमन हेतु चला आ रहा है। उक्त रास्ते में सींव की उत्तरी दिशा में ढ़ाणी मुनिम जी की रोही से उक्त रास्ते पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्रेवल रोड़ का निर्माण करवाया जा चुका है जो बरंग लाल रंग से एनेक्चर में दर्शाया गया है उसी अनुसार रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम करवाने के लिए उक्त दावा अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है।

एनेक्चर बरंग लाल जो कि मौके पर आम सदामती रूप से चालू है जिस पर मौके पर रास्ते के दोनों तरफ पट्टियां रोपकर तारबन्दी कर जो बांधा हुआ है जो बरंग लाल से नक्शे में दर्शाया गया है और ग्राम पंचायत द्वारा ... किया जा चुका है। उस रास्ते बाबत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:33 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
चूरू

खसरा संख्या 416 में राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम कर दुरूस्त करने के लिए उक्त दावा अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है।

उक्त रास्ता जो कि बरंग पीला खसरा 404 में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जबकि मौके पर जो रास्ता बरंग लाल खसरा संख्या 417 के खेत से शुरू होकर निकलता है। इस प्रकार दोनों ही खसरे मुझ वादिनी के हैं और खसरा संख्या 404 का रकबा कुछ बढ़ोतरी होती है और खसरा संख्या 417 के रकबे में कुछ कमी होती है जो कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में सुधार किया जावे एवं रास्ते की तरमीम सही रूप से करवाई जावे। आगे जाकर यह रास्ता उत्तरी दिशा से होकर ढ़ाणी मुनीम जी तक जाता है जो रास्ता आज तक कायम है जिसका उपयोग प्रतिदिन होता आ रहा है ना ही एनेक्चर बरंग पीला के अनुसार है।

राजस्व रिकॉर्ड नक्शा एनेक्चर बरंग पीला के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जबकि मौके पर उक्त रास्ता बरंग लाल के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जबकि मौके पर उक्त बरंग लाल के अनुसार सदियों से पीढी दर पीढी चला आ रहा है जिस कारण पंचायत द्वारा उक्त रास्ते पर ग्रेवल डाली हुई है एवं एनेक्चर बरंग लाल के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। उसी अनुसार रास्ते में बरंग पीला को हटाकर उसके स्थान पर एनेक्चर बरंग लाल नक्शे के अनुसार दर्ज किया जावे। जिसके अनुसार एनेक्चर पेश किये जा रहे हैं जो अदालत मातहत में उक्त दावा के साथ संलग्न किये जा रहे है।

उक्त विवादित कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड के एनेक्चर बरंग पीला के अनुसार नक्शा मौके पर नहीं है ना ही किसी प्रकार का उक्त रास्ता पर आवागमन है इसलिए उक्त कृषि भूमि के नक्शे को बरंग लाल के अनुसार रिकॉर्ड जमाबन्दी को दुरूस्त करवाने के लिए यह दावा अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है।

वादिनी की उपरोक्त कृषि भूमि वादिनी के कब्जे काश्त में है और राजस्व रिकॉर्ड के कर्मचारियों से वादिनी ने कहा कि उक्त रास्ता एनेक्चर बरंग पीला करीब 80–90 वर्षों से किसी प्रकार के उपयोग उपभोग में नहीं आ रहा है एवं रास्ता एनेक्चर बरंग लाल जो कि काफी वर्षो से आवागमन के लिए चला आ रहा है और उसी अनुसार एनेक्चर बरंग लाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लेवें मगर राजस्व कर्मचारी टालमटोल करते रहे हैं जिसके लिए वादीनी ने राजस्व रिकॉर्ड व मौका रिकॉर्ड एनेक्चर बरंग लाल के अनुसार दावा हाजा में पेश किये हैं।

वादीनी की कृषि भूमि मौके, राजस्व रिकॉर्ड व काश्त के अनुसार उक्त रास्ते की भूमि वादीनी के नाम दर्ज कर दी जाती है तो किसी भी प्रकार की कोई राजस्व हानि नहीं होगी। क्योंकि रास्ते के दोनों तरफ कृषि भूमि वादीनी की स्वयं की ही खातेदारी की भूमि है जिसके लिए मौका नक्शा व रिकॉर्ड नक्शा एनेक्चर बरंग लाल की प्रतिलिपि दावा हाजा के साथ प्रस्तुत की जा रही है।

उक्त कृषि भूमि वादीनी की स्वअर्जित सम्पत्ति है राजस्व कर्मचारी की भूलवश वादीनी की कृषि भूमि पर एनेक्चर बरंग लाल के अनुसार एवं मौके के अनुसार तरमीम कर दी जाती है तो किसी प्रकार की राजस्व हानि नहीं होगी जिसके लिए यह आवश्यक हो गया कि वादीनी व प्रतिवादी अपने राजस्व रिकॉर्ड [illegible] दुरूस्त करवा लेवें जिससे आगे किसी प्रकार का कोई वाद विवाद भविष्य में [illegible] लिए उक्त दावा अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:33 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वादीनी ने प्रतिवादी को कहा व कहलवाया कि रास्ते का खसरा भूमि खसरा संख्या 416 वाके रोही गांव गाजसर तहसील व जिला चूरू में उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड मौका को दुरूस्त राजीरजा करवा देवें। मगर प्रतिवादी टाल–मटोल करते रहे एवं आखिरकार दिनांक 28.01.2025 को प्रतिवादी द्वारा ऐसा करने से साफ–साफ इन्कार कर दिया गया लिहाजा तारीख दिनांक 28.01.2025 से वादकारण तथा वाद–हेतुक वादीनी को भूमि मजकूर का खातेदार काश्तकार होने से प्राप्त हो गया है।

दावा कृषि भूमि रिकॉर्ड दुरूस्ती घोषणात्मक का है तथा LAND HOLDER होने के कारण दावा हाजा में राजस्थान सरकार को दावा हाजा में पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है मगर दावा में राज्य सरकार के हितों के प्रतिकूल असर डालने वाला कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए दावा में पूर्व धारा 80 जा.दी. के नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

निवास स्थान फेरीकेन व वादग्रस्त कृषि भूमि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को दावा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा दावा मुकर्रर शुदा कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा बहक वादीनी के खिलाफ प्रतिवादी नीचे लिखेनुसार डिक्री फरमाया जावे।

(क) जरिये वादीनी की ओर से दावा मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीनी का दावा डिक्री स्वीकार फरमाया जाकर वादीनी की रास्ते को मौके के अनुसार एनेक्चर बरंग लाल के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में रिकॉर्ड व तरमीम को दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ख) जरिये डिक्री कृषि भूमि उप मद क में अंकित कृषि भूमि खसरा संख्या 404 व 417 में आंशिक रूप से रकबे में जो परिवर्तन होता है उसमें किसी प्रकार की राजस्व हानि नहीं होगी क्योकि दोनों ही खसरे वादीनी के स्वयं के हैं। जिस अनुसार वादीनी के राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर मौके नक्शा एनेक्चर बरंग लाल के अनुसार दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड से सही अंकन करवाया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या हो जावे वादीनी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

वादी की ओर से पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब अनुसार गांव गाजसर के खसरा संख्या 404, 408, 417, 523/419 तादादी क्रमशः 1.1576 हैक्ट., 3.0351 हैक्ट., 1.1129 हैक्ट., 0.2653 हैक्ट. कुल तादादी 5.9311 हैक्टेयर कृषि भूमि की खातेदारी केशर देवी पत्नी सोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी सहजूसर तह. व जिला चूरू के नाम से दर्ज है। गांव गाजसर के खेत खसरा संख्या 404 व 417 के बीच में एक रास्ता दक्षिण से उत्तर की तरफ जाता है। रास्ता के खसरा सं[illegible] है। खेत खसरा संख्या 416 किस्म गै.मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में व खसरा [illegible] की उत्तरी पश्चिमी कोने से निकलता है जबकि मौके पर खसरा संख्या 403 [illegible] की तरफ से मौके पर चालू है। मौके पर उक्त रास्ता खसरा [illegible] तरफ पट्टियां रोपकर तारबन्दी की हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:33 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
चूरू

मौके पर रास्ता आवागमन हेतु चालू है तथा सुगम भी है। बरंग "लाल रंग" से दर्शित रास्ता मौके पर चालू है। साक्ष्य के रूप में मूल दावा के साथ के संलग्न दस्तावेज व तहसीलदार की रिपोर्ट को साक्ष्य माने जाने के निवेदन पर साक्ष्य बन्द किया जाकर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादीनी का दावा डिक्री स्वीकार फरमाया जाकर वादीनी की रास्ते को मौके के अनुसार एनेक्चर बरंग लाल के अनुसार राजस्व अभिलेख में रिकॉर्ड व तरमीम को दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 तहसीलदार, चूरू की रिपोर्ट में भी दावा वादी स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति एवं एतराज जाहिर नहीं किया है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त रास्ता बरंग पीला खसरा संख्या 404 में राजस्व रिकॉर्ड में है। जबकि तहसीलदार चूरू की रिपोर्ट के अनुसार गांव गाजसर के खसरा संख्या 404, 408, 417, 523/419 तादादी क्रमशः 1.1576 हैक्ट., 3.0351 हैक्ट., 1.1129 हैक्ट., 0.2653 हैक्ट. कुल तादादी 5.9311 हैक्टेयर कृषि भूमि की खातेदारी केशर देवी पत्नी सोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी सहजूसर तह. व जिला चूरू के नाम से दर्ज है। गांव गाजसर के खेत खसरा संख्या 404 व 417 के बीच में एक रास्ता दक्षिण से उत्तर की तरफ जाता है। परन्तु उक्त रास्ता का अंकन इस स्थान पर किस आधार पर हुआ इस प्रकार का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा उक्त रास्ता कई खेतों एवं हितधारियों को लगता है जिससे उन खेते के काश्तकारों का हित प्रभावित होने वाला है इसलिए उनको पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक है जबकि वादी की ओर से केवल राजस्थान सरकार को ही पक्षकार संयोजित किया गया है ।

अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर आवश्यक पक्षकारों के अभाव में दावा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हो।

## ओदश

उपर्युक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादी का दावा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:33 IST
Reason: SelfAttested